सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 13/2017

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री पृथ्वी सिंह राजपुरोहित पुत्र नाथू सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी जनता टॉकिज के पास बारां **(मालिक एवं विक्रेता)** मेसर्स जौधपुर मिष्ठान भण्डार, प्रताप चौक बारॉ
2. श्रीमति संतोष गोयल पुत्री श्री बाबूलाल गोयल (मालिक) मैसर्स नारायण स्वीट, गुमानपुरा चौराहा कोटा
3. श्री भरत कुमार सुखीजा उम्र 36 वर्ष पुत्र गोरधन दास सुखीजा निवासी 11/622 ड्रोन स्कूल के सामने मुक्ता प्रसाद कॉलोनी बांगलनगर बीकानेर राज0 (नोमिनी) मैसर्स बीकाजी फूडस इन्टरनेशनल लिमिटेड, एफ–196/199 बिचवाल इण्डस्ट्रीस एरिया बीकानेर (राज0)
4. मैसर्स बीकाजी फूडस इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ–196/199 बिचवाल इण्डस्ट्रीस एरिया बीकानेर (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हजारीलाल भार्गव अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 व 2)
3– श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 3 व 4)

निर्णय दिनांक 25.3.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.10.2016 को समय 03:15 पी.एम. पर मैसर्स जौधपुर मिष्ठान भण्डार, प्रताप चौक बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री पृथ्वी सिंह राजपुरोहित पुत्र नाथू सिंह राजपुरोहित **(मौके पर मौजूद मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 23.10.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (बीकाजी) 450 ग्राम मात्रा के 10 पैक डिब्बे** विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बीकाजी) मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर उसमें से विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य वस्तु सोहन पपडी (बीकाजी) विक्रेता से 450 ग्राम के 04 पैक डिब्बे वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री पृथ्वी सिंह राजपुरोहित पुत्र नाथू सिंह राजपुरोहित को 600/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा सोहन पपडी (बीकाजी) 450 ग्राम के 04 डिब्बो को अलग–अलग चार नमूना भाग मे कर मूल ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–672 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारॉ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच–672 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री पृथ्वी सिंह राजपुरोहित पुत्र नाथू सिंह राजपुरोहित ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/308 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 346/FSSA/Kota/Act/2016/178 दिनांक 09.11.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (बीकाजी)** 450 ग्राम पैक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु अप्रार्थीगण से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की सूचना रजि0 पत्र द्वारा चाही गई। फर्म द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल कार्यालय मे पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 20.4.2017 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात प्रकरण मे अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (बिकाजी)** 450 ग्राम पैक का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि परिवाद की मद नम्बर 1 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। मद नम्बर 2 मे प्रार्थी का अप्रार्थी क्रम 1 की दुकान पर पहुंचना एवं निरीक्षण करना तथा खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (बीकाजी) 450 ग्राम के 10 डिब्बे विक्रय हेतु रखे होना स्वीकार है शेष मद हाजा जिस प्रकार लिखी गई है अस्वीकार है। मद नम्बर 4 स्वीकार है तथा लेख है कि उक्त 4 पैक डिब्बे बीकाजी कम्पनी के थे, जिसे अप्रार्थी क्रम 1 ने अप्रार्थी क्रम 2 से खरीद किया था एवं अप्रार्थी क्रम 3 ने उक्त सोहन पपडी बीकाजी कम्पनी बीकानेर अप्रार्थी क्रम 4 से खरीद किया है। जिसका नकली एवं मिलावटी होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। मद नम्बर 4 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नही है। मद

नम्बर 5 सही मानने का तथ्य अस्वीकार है अप्रार्थी के दबाव मे हस्ताक्षर किये है। मद नम्बर 6 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। मद नम्बर 7 से 10 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। अप्रार्थी क्रम 1 सोहन पपडी बीकाजी कम्पनी के पेक डिब्बे का विक्रय करता है एवं उक्त सोहन पपडी के डिब्बे अप्रार्थी क्रम 2 मैसर्स नारायण स्वीट गुमानपुरा चौराहा कोटा से खरीद करता है। तथाकथित डिब्बे भी अप्रार्थी क्रम 2 से ही खदीद किये थे। जिसका बिल प्रार्थी को दे दिया था। अप्रार्थी क्रम 2 तथाकथित सोहन पपडी के डिब्बे मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड बिचवाल इन्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर से खरीद करके अन्य को पेक डिब्बे सप्लायी करता है, जो डिब्बे अप्रार्थी क्रम 1 को विक्रय किये है वह माल मैने दिनांक 30.9.2016 को बिल ऑर्डर नम्बर LSO/50 से खरीद किये थे, जिसके बिल की फोटो प्रति प्रार्थी को प्रस्तुत कर दी थी। अतः सोहन पपडी नकली एवं मिलावटी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने उक्त प्रकरण मे किसी प्रकार की मिलावटी नही की है। अप्रार्थी क्रम 4 द्वारा पेक्ड डिब्बो का विक्रय किया है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को दोषमुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन करते हुये कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही विधि सम्मत नही है, कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन नही किया गया है। उक्त कम्पनी काफी वर्षो से कार्य कर रही है। आज तक कभी कोई शिकायत किसी भी प्रकार से पूरे भारत वर्ष मे खाद्य अपमिश्रण संबंधित नही हुई है। खाद्य अपमिश्रण संबंधी कोई त्रुटि नही पाई गई है। प्रकरण मिथ्या छाप का प्रस्तुत किया गया है। जबकि पैकेट पर सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाता है। अप्रार्थीगण की कोई गलती नही है। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को दोषमुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा कहा गया कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 346/FSSA/Kota/Act/2016/178 दिनांक 09.11.2016 के बाद अप्रार्थीगण को **सोहन पपडी (बीकाजी)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **सोहन पपडी (बीकाजी)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 को प्रत्येक अप्रार्थी को 2500/–रूपये कुल जुर्माना राशि 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त जुर्माना राशि पृथक–पृथक अप्रार्थीगण प्रति अप्रार्थी 2500/– रूपये अथवा चारो अप्रार्थीगण मिलकर 10,000/– रूपये किसी भी एक अधिकृत प्रतिनिधी के माध्यम से जमा करवाये। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)